न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

अनुसूची 14– फारम सं0 562

सोमरा उरॉव
बनाम
दिलीप खलखो

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम, 129)

आदेश पत्रक .....से ..... तक

जिला– राँची, केस का प्रकार– एस0ए0आर0 अपील वाद संख्या-85/2018–19

अंचल–माण्डर

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी : तारीख सहित

आदेश

10/12/22

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षो को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह अपील वाद आवेदक सोमरा उरॉव, ग्राम–पुंगी, पो0–करकरा, थाना–माण्डर द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर रांची के एस0ए0आर0 (भूमिवापसी) वाद संख्या–39/2012–13 में दिनांक–13.08.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नलिखित है:–

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता	प्लॉट	रकबा
माण्डर	माण्डर	90	150	555	20 डी0

अपीलकर्त्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा एस0ए0आर0 (भूमिवापसी) वाद संख्या–39/2012–13 में तथ्यों को छुपाया गया है। अपीलकर्त्ता को निम्न न्यायालय में अपना पक्ष रखने का मौका नही दिया गया। वादग्रस्त भूमि खतियान में बकास्त भूईंहरी दर्ज है, जिसका विधिवत हस्तानांतरण कर अपीलकर्त्ता को प्राप्त हुआ है।

अपीलकर्त्ता का अनुरोध है कि निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाय। विपक्षी श्री दिलीप खलखो के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वादग्रस्त भूमि खतियान में बकास्त भूईंहरी दर्ज है एवं अहस्तानांतरणीय है। विवादित भूमि बकास्त भूईंहरी पहनाई लगान पाने वाला का नाम खतियान में सोनुआ उरॉव वगै0

का नाम दर्ज है। अपीलकर्त्ता खतियानी रैयत का वंशज है।

विपक्षी का आगे कहना है कि श्याम साहु, पिता स्व० जगेश्वर साहु ने विवादित भूमि की कुल रकबा 20 डी० मध्ये 18 डी. भूमि को कपटपूर्ण तरीके से हडप लिया है तथा 03 डी० भूमि पर ईंट की दिवाल तथा एस्वेस्ट्स की छत से मकान का निर्माण कर लिया गया है तथा शेष 15 डी० भूमि में उसके द्वारा घरबाड़ी आँगन के रूप में उपयोग किया जाता है। अपीलकर्त्ता सोमरा उरांव, पिता–मैएसा उरांव, निवासी ग्राम–माण्डर, थाना–माण्डर, जिला– रांची ने अवैध रूप से विवादित भूमि की कुल रकबा 20 डी० मध्ये 02 डी० भूमि को अपने कब्जे ने कर लिया है, जो खाली है। विवादित भूमि की प्रकृति वकास्त भूईहरी पहनाई, जो अन्तरणीय नहीं है। अतः इस अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।

उभय पक्षों के तर्क सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि खतियान में वकास्त भूईहरी दर्ज है एवं अहस्तानांतरणीय है। अपीलकर्त्ता को निम्न न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया है, किन्तु अपीलकर्त्ता अपना अपना पक्ष रखने में असफल रहे। अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। इस आदेश से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर, रांची एवं अंचलाधिकारी माण्डर को अवगत कराया जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

10/1/24

अपर समाहर्त्ता
राँची।

10/1/24

अपर समाहर्त्ता,
राँची।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2024.02.17 16:30:25 +05:30
Location: 192.168.2.175